



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274623
CG-DL-E-20072026-274623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3715]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948

No. 3715]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे(निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3878(अ).— रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, अधिसूचना संख्या 2527(ई) दिनांक 06 जून 2025 पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में उत्तर रेलवे परियोजना "ढंडारी कलां डी.डी.एल. रेलवे की संचालन क्षमता बढ़ाने और शंटिंग नेक के प्रावधान हेतु पुनर्निर्माण" अनुभाग के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, इस भूमि का अर्जन करने का अपने आशय की घोषणा करती है;

क.सं.	गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	गैसपुर	0.2580
2	शेरपुर कलां	0.6247
	कुल क्षेत्र	0.8827

उक्त भूमि में हितबद्ध व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि की भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए इस भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, लुधियाना वेस्ट, जिला लुधियाना, (सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण) को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य विवरण उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

भूमि अनुसूची

पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में उत्तर रेलवे की विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् “ढंडारी कलां डी.डी.एल. रेलवे की संचालन क्षमता बढ़ाने और शंटिंग नेक के प्रावधान हेतु पुनर्निर्माण” के लिए जिला लुधियाना के अन्तर्गत की जाने वाली भूमि का संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम: लुधियाना

तहसिल/तालुक का नाम: लुधियाना दक्षिण एवं लुधियाना पूर्व

क.सं.	जिला	तहसील/तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण नंबर/खसरा नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल	
							मरला	मरला
1	लुधियाना	लुधियाना दक्षिण	गैसपुर	97 / 2	पंजाब सरकार	गैर मुमकिन	102	0.2580
कुल क्षेत्र							102	0.2580

क.सं.	जिला	तहसील/तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण नंबर/खसरा नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल	
							मरला	हैक्टेर
1	लुधियाना	लुधियाना पूर्व	शेरपुर कलां	59 / / 4	निजी	गैर मुमकिन	22	0.0556
2	लुधियाना	लुधियाना पूर्व	शेरपुर कलां	59 / / 6	निजी	गैर मुमकिन	37	0.0936
3	लुधियाना	लुधियाना पूर्व	शेरपुर कलां	59 / / 7	निजी	गैर मुमकिन	16	0.0405
4	लुधियाना	लुधियाना पूर्व	शेरपुर कलां	59 / / 15	निजी	गैर मुमकिन	1	0.0025
5	लुधियाना	लुधियाना पूर्व	शेरपुर कलां	60 / / 10	निजी	गैर मुमकिन	4	0.0101
6	लुधियाना	लुधियाना पूर्व	शेरपुर कलां	60 / / 11	निजी	गैर मुमकिन	35	0.0885
7	लुधियाना	लुधियाना पूर्व	शेरपुर कलां	60 / / 12	निजी	गैर मुमकिन	19	0.0481
8	लुधियाना	लुधियाना पूर्व	शेरपुर कलां	60 / / 17	निजी	गैर मुमकिन	2	0.0051

9	लुधियाना	लुधियाना पूर्व	शेरपुर कलां	60 / / 18	निजी	गैर मुमकिन	36	0.0910
10	लुधियाना	लुधियाना पूर्व	शेरपुर कलां	60 / / 19	निजी	गैर मुमकिन	19	0.0481
11	लुधियाना	लुधियाना पूर्व	शेरपुर कलां	60 / / 23	निजी	गैर मुमकिन	2	0.0051
12	लुधियाना	लुधियाना पूर्व	शेरपुर कलां	60 / / 24	निजी	गैर मुमकिन	36	0.0910
13	लुधियाना	लुधियाना पूर्व	शेरपुर कलां	60 / / 25	निजी	गैर मुमकिन	18	0.0455
कुल क्षेत्र							247	0.6247

[फा. सं: 190-W/Land/CDG-II/DDL]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-।

MINISTRY OF RAILWAYS**[Northern Railways(Construction Organization)]****NOTIFICATION**

New Delhi, 13th July, 2026

S.O. 3878(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 89) (hereinafter referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of Special Railway Project, notification no. 2527(E) dated 06 June 2025, namely, **“Dhandari Kalan-DDL-Remodelling to increase handling capacity and provision of Shunting neck of Northern Railway”**, in Ludhiana district in the State of Punjab, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under subsection 20 D of the said Act;

SN	Name of Villages	Area in Hectares (Ha)
1	Gaispur	0.2580
2	Sherpur Kalan	0.6247
	Total Area	0.8827

Every Such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub Divisional Magistrate, Ludhiana West, District Ludhiana, Punjab (Competent Authority Land Acquisition)** in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the District Ludhiana for Special Railway Project, namely, "Dhandari Kalan-DDL-Remodelling to increase handling capacity and provision of Shunting neck of Northern Railway" in the District of Ludhiana in the Punjab State.

Name of District: Ludhiana

Name of Tehsil/Sub-Tehsil: Ludhiana South & Ludhiana East

SN	District	Tehsil/Sub-Tehsil	Village	Khasra No.	Nature of Land	Type of Land	Area to be Acquired	
							Marla	Hectare
1	Ludhiana	Ludhiana South	Gaispur	97/2	Punjab Govt.	Gair Mumkin	102	0.2580
	Total Area						102	0.2580

SN	District	Tehsil/Sub-Tehsil	Village	Khasra No.	Nature of Land	Type of Land	Area to be Acquired	
							Marla	Hectare
1	Ludhiana	Ludhiana East	Sherpur Kalan	59//4	Private	Gair Mumkin	22	0.0556
2	Ludhiana	Ludhiana East	Sherpur Kalan	59//6	Private	Gair Mumkin	37	0.0936
3	Ludhiana	Ludhiana East	Sherpur Kalan	59//7	Private	Gair Mumkin	16	0.0405
4	Ludhiana	Ludhiana East	Sherpur Kalan	59//15	Private	Gair Mumkin	1	0.0025
5	Ludhiana	Ludhiana East	Sherpur Kalan	60//10	Private	Gair Mumkin	4	0.0101
6	Ludhiana	Ludhiana East	Sherpur Kalan	60//11	Private	Gair Mumkin	35	0.0885
7	Ludhiana	Ludhiana East	Sherpur Kalan	60//12	Private	Gair Mumkin	19	0.0481
8	Ludhiana	Ludhiana East	Sherpur Kalan	60//17	Private	Gair Mumkin	2	0.0051
9	Ludhiana	Ludhiana East	Sherpur Kalan	60//18	Private	Gair Mumkin	36	0.0910
10	Ludhiana	Ludhiana East	Sherpur Kalan	60//19	Private	Gair Mumkin	19	0.0481
11	Ludhiana	Ludhiana East	Sherpur Kalan	60//23	Private	Gair Mumkin	2	0.0051

12	Ludhiana	Ludhiana East	Sherpur Kalan	60//24	Private	Gair Mumkin	36	0.0910
13	Ludhiana	Ludhiana East	Sherpur Kalan	60//25	Private	Gair Mumkin	18	0.0455
Total Area							247	0.6247

[File No. 190-W/Land/CDG-II/DDL]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Construction-I